नियुक्ति, पदोन्नति आदि के समस्त आदेश हिन्दी में ही मान्य

राजस्थान सरकार

भाषा विभाग

आज्ञा

जयपुर, सितम्बर 1, 1967

विषय:- प्रशासनिक आदेशों के हिन्दी में अनिवार्यत: प्रसारित किये जाने के संबंध में।

संख्या 1 (1) भाषि/66/5036:- शासन की हिन्दीकरण की नीति के अनुक्रम में समय-समय पर ये आदेश प्रसारित हुए हैं कि सचिवालय तथा विभागाध्यक्षों के स्तर से समस्त प्रशासनिक आदेश, परिपत्र, विज्ञप्तियां आदि देवनागरी में लिखित हिन्दी में होंगे। किन्तु राज्य शासन के ध्यान में लाया गया है कि उक्त आदेशों का अनुपालन पूर्णत: नहीं हो पा रहा है और अब भी सचिवालय तथा विभागाध्यक्षों के स्तर से ऐसे प्रशासनिक आदेश अंग्रेजी में जारी किये जाते हैं।

ऐसी स्थिति में शासन ने यह निर्णय लिया है कि 14 सितम्बर, 1967 से सचिवालय एवं विभागाध्यक्षों के स्तर पर से ऐसे सभी प्रशासनिक आदेश जो नियुक्ति, पदोन्नति, पदस्थापन, वेतनवृद्धि, अवकाश, कार्यग्रहण तथा सेवा निवृत्ति से संबंधित हों, शासन की ओर से प्रमाणित तभी माने जायेंगे जबकि वे देवनागरी में लिखित हिन्दी में जारी किये गये हों।

समस्त संबंधित अधिकारियों से अनुरोध किया जाता है कि वे इस आदेश को समस्त अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों में प्रसारित कर दें तथा उपर्युक्त तिथि से इसके पूर्ण अनुपालन की व्यवस्था करें।

इस पत्र की प्राप्ति शीघ्र भिजवाने का कष्ट करें।

www.rajteachers.com

ह.

(के.पी.यू. मेनन)

मुख्य सचिव

हिन्दी समाचार पत्रों में विज्ञापन एवं विज्ञप्तियां हिन्दी में मान्य

राजस्थान सरकार

भाषा विभाग

आदेश

जयपुर, अगस्त 16, 1969

संख्या 1 (12) हि.वि./65/4618:- गृह विभाग, राजस्थान शासन, के 16 अप्रेल, 1966 के परिपत्र संख्या एफ 2(7) (59) गृह-ख 2166 द्वारा तथा समय-समय पर भाषा विभाग के पत्रों द्वारा हिन्दी पत्रों में निकले अंग्रेजी विज्ञापनों के अनौचित्य की ओर विभागाध्यक्षों का ध्यान आकर्षित किया गया है। फिर भी देखा गया है कि हिन्दी पत्रों में विभिन्न विभागों द्वारा कई बार अंग्रेजी में विज्ञापन निकाले जाते हैं।

कुछ ऐसे उदाहरण भी ध्यान में आये हैं जबकि कुछ विभागों ने हिन्दी समाचार पत्रों में एक ही विज्ञापन हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रसारित कराया है। ऐसा करना आवश्यक नहीं है और न यह राज्य के प्रचलित आदेशों के अनुरूप हैं।

विज्ञापनों के संबंध में शासन का यही निर्णय है कि हिन्दी के समाचार पत्रों में केवल मात्र हिन्दी में ही विज्ञापन निकाले जायें।

www.rajteachers.com

ह.

(विष्णुदत्त शर्मा)

शासन सचिव

वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन हिन्दी में भरे जाने पर ही मान्य

राजस्थान सरकार

भाषा विभाग

क्रमांक : 1 (12) भा.वि./प.नि./84/2779 जयपुर, दिनांक : 23 मई, 84

समस्त शासन सचिव,

समस्त विभागाध्यक्ष,

विषय :— वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन हिन्दी में भरे जाने हेतु।

महोदय,

आपको विदित ही है कि समस्त राजकार्य हिन्दी में किये जाने के राज्यादेश जारी हो चुके हैं जिनके अनुसार अधिकांश कार्य हिन्दी भाषा में ही किये जा रहे हैं। कुछ कार्यों में हिन्दी प्रयोग को ही मान्य माना गया है, अंग्रेजी प्रयोग को असामान्य घोषित किया गया है तथापि शासन के ध्यान में यह बात आई है कि अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (मूल्यांकन प्रतिवेदन) अब भी अनेक स्तरों पर केवल अंग्रेजी में भरे और संधारित किये जा रहे हैं। यद्यपि अनेक विभागों में ऐसे प्रतिवेदन हिन्दी में भरे और संधारित किये जा रहे हैं फिर भी कुछ अधिकारी अब भी अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं।

यद्यपि ये प्रतिवेदन गोपनीय रखे जाते हैं और इनमें बहुत से स्तम्भों में तो प्रतिवेदक अधिकारी को केवल चिन्ह लगाने होते हैं, शब्द नहीं लिखने पड़ते, फिर भी जहां-जहां प्रतिवेदक अधिकारी/समीक्षक अधिकारी/प्रतिवेदित कर्मचारी/अधिकारी के बारे में अपने विचार लिखते हैं वहां हिन्दी का प्रयोग करने की परम्परा डाली जाये, यह वांछनीय है। इसमें हिन्दी शब्दावली आदि की कठिनाई आने की संभावना भी नहीं है क्योंकि ऐसे मूल्यांकन प्रतिवेदनों के फार्म अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में छपे हुए हैं और उनमें बहुत सी संबंधित अंग्रेजी-हिन्दी शब्दावली पहले से ही मौजूद हैं। जहां कठिनाई हो, वहां अंग्रेजी का शब्द भी देवनागरी में लिखा जा सकता है।

अतः मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निर्देश हुआ है कि अपने अधीन उन समस्त अधिकारियों को, जो ऐसे प्रतिवेदन भरते हैं, इन प्रतिवेदनों में हिन्दी के प्रयोग का निर्देश देने की कृपा करें, यदि अब तक ऐसे प्रतिवेदन हिन्दी में नहीं भरे जा रहे हों।

www.rajteachers.com

ह.

(प्रकाश बिहारी माथुर)

शासन सचिव

समस्त शासकीय मोहरें हिन्दी में मान्य

राजस्थान सरकार

भाषा विभाग

क्रमांक : 1 (52) भा.वि./प. 76/2542-2942 जयपुर, दिनांक : 5.3.76

परिपत्र

शासकीय कार्य में हिन्दी को समुचित स्थान दिलाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि राजकीय विभागों में जो रबर की मोहरें काम में लायी जाएं, वे अनिवार्य रूप से हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि में हों। 17 मार्च, 1976 से राज्य सरकार की ओर से अंग्रेजी मोहरों का इस्तेमाल अनियमित घोषित किया जाता है। इस मामले में अपवाद केवल उन पत्रों के लिये होगा जो पत्र विदेशों के लिये हों, उन पर अंग्रेजी मोहर काम में लायी जा सकती हैं, अन्य सभी मामलों में रबर की अथवा किसी दूसरी सामग्री की बनायी गयी मोहरें राजस्थान सरकार की ओर से लगायी तभी मान्यता प्राप्त होंगी जब उनकी भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।

अतएव, समस्त शासन सचिवों, जिलाधीशों और विभागाध्यक्षों आदि से यह निवेदन किया जाता है कि वे अपने तथा अपने अधीनस्थ कार्यालयों की अंग्रेजी की मोहरें हटवा लें और उनकी जगह उपर्युक्त आदेशानुसार हिन्दी की मोहरों का ही उपयोग कराने की व्यवस्था करें। इस परिपत्र प्राप्ति की सूचना भाषा निदेशालय को भिजवायी जाये।

www.rajteachers.com

ह.

(मोहन मुखर्जी)

मुख्य सचिव

मेले, समारोह आदि के निमन्त्रण पत्र, बेनर आदि में हिन्दी का प्रयोग

राजस्थान सरकार

भाषा विभाग

क्रमांक : 1 (12) भा.वि./रचना-पर्व/97/9821

जयपुर, दिनांक : 9.7.97

समस्त शासन सचिव,
समस्त विभागाध्यक्ष/संभागीय आयुक्त,
जिला कलक्टर,

परिपत्र

शासन की राजभाषा नीति के अनुसरण में पूर्व परिपत्र क्रमांक 1 (12) भा.वि./65-76/6632-6889 दिनांक 28.7.76 द्वारा यह आदेश दिये गये थे कि राजकीय विभागों, अर्द्ध सरकारी संस्थानों/उपक्रमों/निगमों/मण्डलों के तत्वावधान में आयोजित सार्वजनिक समारोह, मेले, प्रदर्शनियों के विज्ञापनों, प्रचार वाक्यों, बैनरों, प्रचार सामग्री आदि में राजभाषा हिन्दी का ही प्रयोग किया जाये। इनके निमंत्रण पत्र हिन्दी में ही प्रकाशित किये जायें।

भाषा निदेशालय के ध्यान में आया है कि उपर्युक्त आदेश की पालना नहीं की जा रही है तथा राजकीय समारोह के कार्य-व्यवहार एवं प्रचार-प्रसार में हिन्दी का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। अतएव आप सभी से पुन: निवेदन है कि राजकीय समारोह, गोष्ठियों, सेमीनारों आदि के निमंत्रण पत्रों, बैनरों, विज्ञापनों, प्रचार वाक्यों व समस्त प्रचार साहित्य में शासन की घोषित राजभाषा नीति के अनुरूप राजभाषा हिन्दी का ही प्रयोग किया जाये। यदि अपरिहार्य कारणों से अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना अति आवश्यक हो तो इनमें हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाये न कि केवल अंग्रेजी भाषा का।

आशा है, समस्त विभाग अपने अधीनस्थ विभागों/कार्यालयों में इस आशय के आदेश शीघ्र प्रसारित कर भाषा निदेशालय, राजस्थान सरकार, मिनी सचिवालय बनीपार्क, जयपुर को इसकी प्रति भिजवाने की व्यवस्था करेंगे।

www.rajteachers.com

भवदीय

ह.

(प्रियदर्शी ठाकुर)

शिक्षा एवं भाषा सचिव

समस्त सरकारी कागजों पर हिन्दी में ही हस्ताक्षर मान्य

राजस्थान सरकार

भाषा विभाग

आज्ञा

क्रमांक : 1(1) भा.वि./66/5/56 दिनांक : 31 अगस्त, 1966

राज्य शासन की हिन्दीकरण नीति के अनुसरण में यह निश्चय किया गया है कि समस्त राजकीय व्यवहार में, और हर तरह के राजकीय कागज-पत्र पर, संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचारी के हस्ताक्षर केवल देवनागरी में लिखित हिन्दी भाषा में किये जाने चाहिये। यह निश्चय उन कागजों एवं आन्तरिक व्यवहार में प्रयुक्त टिप्पणियों पर ही लागू होगा जो किसी कारण अंग्रेजी अथवा किसी दूसरी भाषा में लिखे जायेंगे।

विधि, न्याय, वित्त एवं बैंकिंग विषयों से संबंधित जिन कागज-पत्रों पर प्रमाणित हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है, उनके लिये संबंधित अधिकारियों को अपने हस्ताक्षर हिन्दी में प्रमाणित करा लेने चाहिये।

यह निश्चय तत्काल लागू किया जा रहा है।

15 सितम्बर, 1966 के बाद सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के हिन्दी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में किये गये हस्ताक्षर राज्य सरकार की ओर से प्रमाणित नहीं माने जायेंगे।

www.rajteachers.com

ह.

(विष्णुदत्त शर्मा)

शासन सचिव

समस्त वित्तीय स्वीकृतियां हिन्दी में ही जारी होने पर मान्य

राजस्थान सरकार

भाषा विभाग

क्रमांक : 1 (237) भा.वि./67-78/2956 जयपुर, दिनांक : 20 जून, 1983

परिपत्र

राज्य सरकार ने समसंख्यक आदेश क्रमांक 5998 दिनांक 28.8.78 द्वारा स्पष्ट किया था कि 2.10.78 से राज्य सरकार की ओर से जारी होने वाली समस्त वित्तीय स्वीकृतियां देवनागरी में लिखित हिन्दी में ही अधिकृत और मान्य मानी जायेंगी। इसके अनुसार सारी वित्तीय स्वीकृतियां चाहे वे गैर योजना मद की हों या योजना मद की, हिन्दी में ही जारी होनी चाहिये। किन्तु यह पाया गया है कि अनेक वित्तीय स्वीकृतियां, विशेषकर योजना मद की, अब भी अंग्रेजी में जारी हो रही हैं। यह स्थिति उचित नहीं है। महालेखाकार, राजस्थान का भी अभिमत है कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की नीति के अनुरूप सारी वित्तीय स्वीकृतियां हिन्दी में ही होनी चाहिए। अत: इस विषय में महालेखाकार को भी कोई असुविधा नहीं होगी।

अत: समस्त शासन सचिवों से पुन: अनुरोध है कि वे इस संबंध में पूर्ण व्यवस्था कर दें कि भविष्य में कोई भी वित्तीय स्वीकृति अंग्रेजी में जारी न हो, क्योंकि उपर्युक्त राज्यादेशानुसार उन्हें अमान्य माना जा सकता है। समस्त कोषाधिकारियों को निर्देश दिये जा रहे हैं कि वे बिलों को तभी पारित करें जब उनमें वित्तीय स्वीकृतियां देवनागरी में लिखित हिन्दी में लगी हों।

www.rajteachers.com

(मदन मोहन किशन वली)

मुख्य सचिव

प्रशासनिक आदेश हिन्दी में ही मान्य

राजस्थान सरकार

भाषा विभाग

क्रमांक : 1 (290) भा.वि./पर्व/79/8723 जयपुर, दिनांक : 15.11.79

विषय : प्रशासनिक आदेशों में हिन्दी प्रयोग।

महोदय,

राज्य सरकार ने आज्ञा क्रमांक (1) भा.वि./66/5035 दिनांक 1 सितम्बर, 1967 द्वारा आदेश जारी किये थे कि 14 सितम्बर, 1967 से सचिवालय एवं विभागाध्यक्षों के स्तर से जारी किए जाने वाले समस्त प्रशासनिक आदेश जो नियुक्ति, पदोन्नति, पदस्थापन, वेतनवृद्धि, अवकाश, कार्यग्रहण तथा सेवानिवृत्ति से संबंधित हों, तभी मान्य माने जाएंगे जबकि वे देवनागरी में लिखित हिन्दी में जारी किये जायें।

फिर भी पाया गया है कि कतिपय स्तरों पर इसकी पूर्ण अनुपालना नहीं हो रही है। राज्य सरकार इस स्थिति को उचित नहीं मानती। एक बार पुनः स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त कार्यों से संबंधित समस्त प्रशासनिक आदेश तभी मान्य होंगे जब वे हिन्दी में जारी किये गए हों, अतः आदेश की पूर्ण पालना आवश्यक है। कृपया, इसकी जानकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों/अधिकारियों को करा दें।

www.rajteachers.com

भवदीय

ह.

(गोपाल कृष्ण भनोत)

मुख्य सचिव

पेंशन संबंधी समस्त कार्य हिन्दी में ही मान्य

राजस्थान सरकार

भाषा विभाग

क्रमांक : 1 (331) भा.वि./84/5274 दिनांक : 17.12.84

परिपत्र

सेवा में,

समस्त शासन सचिव,

समस्त विभागाध्यक्ष (जिलाधीशों सहित),

विषय :— पेंशन संबंधी समस्त कार्य हिन्दी में करने के संबंध में।

महोदय,

राज्य कर्मचारियों तथा अधिकारियों के पेंशन से संबंधित आवेदन-पत्रों, अन्य फार्मों तथा स्वीकृति-आदेशों में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग वांछित है। यह पाया गया है कि पेंशन से संबंधित बहुत से प्रपत्र द्विभाषी हैं, किन्तु कुछ केवल अंग्रेजी में छपे हैं। पेंशन संबंधी सभी स्वीकृतियों में हिन्दी प्रयोग आवश्यक है किन्तु कुछ स्वीकृतियों के प्रपत्र अंग्रेजी में होने के कारण वे अंग्रेजी में जारी कर दी जाती हैं।

अत: इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में पेंशन संबंधित समस्त कार्यवाही अनिवार्यत: हिन्दी में ही की जाये। समस्त विभागों से अनुरोध है कि पेंशन के कागजात बनाते समय इस बात का ध्यान रखें और आवेदनों पर सारी कार्यवाही (प्रमाणक तथा अग्रेषण आदि) हिन्दी में ही का जायें। यदि इस संबंध में फार्म द्विभाषी हों तो उन्हें हिन्दी में भरे जाने में कोई असुविधा नहीं होगी। किन्तु यदि वे अंग्रेजी में भी हों तो उन्हें हिन्दी में भरा जावे।

पेंशन से संबंधित स्वीकृतियां हिन्दी में जारी की जायेंगी। जिन स्वीकृतियों के प्रपत्र वर्तमान में केवल अंग्रेजी में हैं उनका हिन्दी अनुवाद हो गया है तथा भविष्य में वे हिन्दी या द्विभाषी छपाये जायेंगे। किन्तु जब तक ऐसा नहीं हो तब तक हिन्दी में छपे फार्मों की प्रतीक्षा करके जो भी फार्म उपलब्ध हों उन्हें हिन्दी में भर कर उक्त कार्यवाही की जायेगी। यह पुन: स्पष्ट किया जाता है कि समस्त सरकारी कार्यवाहियों में सारे अंक (न्यूमरल्स) अन्तर्राष्ट्रीय ही प्रयुक्त होंगे। इसके अतिरिक्त यदि कहीं अंग्रेजी की संक्षिप्तियां या अक्षरों एवं शब्दों के प्रयोग करने की आवश्यकता हो (जैसे पी.पी.ओ., डी.सी., आर.जी. आदि) उन्हें भी यों की यों देवनागरी लिपि में टाईप किया जा सकता है। इससे अंग्रेजी में छपे फार्मों पर भी हिन्दी में कार्यवाही करने में कोई असुविधा नहीं होगी। परन्तु यदि कोई पेंशनर ऐसे राज्य में पेंशन प्राप्त कर रहा है जिस राज्य की भाषा हिन्दी नहीं है तो सुविधार्थ पत्रों की प्रतियां अंग्रेजी भाषा में भी भेजी जा सकती हैं।

कृपया इसकी अनुपालना हेतु समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने का कष्ट करें।

www.rajteachers.com

ह.

(प्रकाश बिहारी माथुर)

शासन सचिव